किशन राम और अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1196/2007)

1 अक्टूबर, 2013

[ए. के. पटनायक और रंजना प्रकाश देसाई, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 -एस. 303 आरएलडब्ल्यू एस. 149 और एस 147- हत्या-लाठियों और डंडों से हमला जिससे मौत हो गई-तीन अपीलार्थियों सहित पांच आरोपी-निचली अदालतों द्वारा अपीलार्थियों को दोषी ठहराना-औचित्य-आयोजितःतथ्यों पर, न्यायसंगत-घटना के चार घंटे के भीतर प्राथमिकी में पीडब्लू-1 के बयान से पुष्टि किए गए तीन चश्मदीद गवाहों (पीडब्लू 1,2 और 6) का साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि तीन अपीलकर्ताओं सहित पांच अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक पर लाठियों और डंडों से हमला किया था जब मृतक के हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे-पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-7 ने अभियोजन मामले का समर्थन किया-प्राथमिकी दर्ज करने में चार घंटे की देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया था-चश्मदीद गवाहों की मौखिक गवाही, मौके से रस्सी की बरामदगी और चिकित्सा साक्ष्य उचित संदेह से परे स्थापित करते हैं कि पांच

अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक के हाथ और पैर बांध दिए थे और उसे दे दिया था। 302, /पी. सी.-इसलिए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को हत्या के अपराध का दोषी ठहराया। 302 आरएलडब्ल्यू एस। 149, /पीसी। पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-6 द्वारा दी गई अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि तीन अपीलार्थियों सहित पांच अभियुक्तों ने पीडब्लू-1 के पति पर लाठियों और डंडों से हमला किया, जबकि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे, जिससे उसकी मौत हो गई।

निचली निचली अदालत ने पांचों अभियुक्तों को भा.दं.सं. सी. की खंड 147 और खंड 302 आर. एफ. डब्ल्यू. खंड 149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए कहा कि 1) पीडब्लू-1 मृतक के हमलावरों की पहचान करने में समर्थ नहीं था;2) कि एफ. आई. आर. दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई; और 3) कि भले ही पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-6 के साक्ष्य पर विश्वास किया जाए, अपीलार्थियों को भा.दं.सं. सी. की खंड 149 के साथ पठित भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका, क्योंकि अपीलार्थियों का सामान्य उद्देश्य हत्या का अपराध नहीं करना था और इसलिए, वे आजीवन कारावास की सजा के लिए उत्तरदायी

नहीं थे। अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि यह भा.दं.सं. सी. की खंड 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला था, जिसे भा.दं.सं. सी. की खंड 149 के साथ पढ़ा जाता है।

अपील को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1. तीन चश्मदीद गवाहों (पीडब्लू 1,2 और 6) के साक्ष्य, जैसा कि घटना के चार घंटे के भीतर प्राथमिकी में पीडब्लूई के बयान से स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। यह स्थापित करता है कि तीन अपीलार्थियों सहित पाँच अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक पर लाठियों और डंडों से हमला किया था जब मृतक के हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे। [पैरा 11] [414-डी-ई]

2. पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-7 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया कि मृतक के हाथ और पैर बांधने पर उस पर हमला किया गया था, लेकिन उन्होंने उन व्यक्तियों का नाम नहीं लिया जिन्होंने मृतक पर हमला किया था, शायद इसलिए कि वे घटना के बाद ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। [पैरा 12] [415-ए·बी]

3. यह सच है कि यह घटना आईडी1 पर शाम करीब 7:30 बजे हुई थी और उसके बाद लगभग चार घंटे बाद उसी दिन आईडी2 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन चार घंटे की इस देरी को पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य द्वारा पर्याप्त रूप से समझाया गया है। पीडब्लू-1 ने कहा है कि

वह पहले गांव रुड़की गई और पीडब्लू-6 को सूचित किया और फिर पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-6 चिल्किया मंदिर वापस आए और देखा कि मृतक की मौत हो गई थी और आरोपी व्यक्ति वहां मौजूद थे और फिर वे घटना की जानकारी देने के लिए गांव पांडे के पटवाड़ी के पास गए लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और उसके बाद ही वे पुलिस चौकी कोटाबाग गए और घटना की रिपोर्ट चौकी को सौंप दी।

यह पीडब्लू-6 द्वारा लिखा गया था। पीडब्लू-6 ने पीडब्लू-1 के कथन की पुष्टि की है। इस प्रकार, एफ. आई. आर. दर्ज प्राथमिकीने में शाम 7:30 बजे से शाम 1 बजे तक चार घंटे की देरी पर्याप्त रूप से समझाई गई है और अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध नहीं बनाती है। [पैरा 13] [415-सी-ई, जी]

4. सी. डब्ल्यू.-1 डॉ. एस. सी. पंत के बयान के साथ पढ़ी गई शव परीक्षण रिपोर्ट (Ext.A-1) मृतक के शरीर पर 27 चोटों का खुलासा करती है। डॉ. एस. सी. पंत ने राय दी है कि चोटों के तहत हेमेटोमा था। 1 और 3 और मृतक की चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गई। 1 और 3.पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 ने कहा है कि सभी पाँच आरोपी व्यक्ति मृतक पर अपनी-अपनी लाठियों और डंडों से हमला कर रहे थे और मृतक के हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे। 04.07.1986 की सुबह पूछताछ के समय, पीडब्लू-5 ने मौके से रस्सी भी अपने कब्जे में ले ली। इस तथ्य

को ध्यान में रखते हुए कि सभी पांचों अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक के हाथ और पैर बांधने पर मृतक पर हमला किया और उन्होंने मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 27 चोटें पहुंचाईं, इस निष्कर्ष से कोई बचा नहीं है कि सभा का सामान्य उद्देश्य भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत हत्या का अपराध करना था, और गैरकानूनी सभा के सभी पांच सदस्य भा.दं.सं. सी. की खंड 304 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि भा.दं.सं. सी. की खंड 139 में प्रावधान किया गया है। [पैरा 14] [416-ए; 418-बी-डी]

5. प्रत्यक्षदर्शियों की मौखिक गवाही, मौके से रस्सी की बरामदगी और इस मामले में चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पांचों अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक के हाथ और पैर बांध दिए और उसे लाठियों और डंडों से संयुक्त रूप से 27 घाव दिए। इसलिए, सभा का सामान्य उद्देश्य भा.दं.सं. सी. की खंड 303 के तहत अपराध करना था। इसलिए, निचली अदालत और उच्च निचली अदालत ने अपीलार्थियों को भा.दं.सं. सी. की खंड 149 के साथ पठित हत्या के अपराध के लिए सही ठहराया। [पैरा 19] [420-ए-सी]

भूदेव मंडा/और अन्य अन्यबिहार राज्य 1981 (2) एससीसी 755:1981 (3) एससीआर 291; सन्नन एंड अन्य. वी.एम. पी. राज्य 1993 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 356; ठाकुर दो/जी वनवीरजी और अन्य

अन्यगुजरात राज्य 1993 पूरक (2) एस. सी. सी. 534; राजाराम बनाम राज्य एम पी। 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 153-विशिष्ट।

मामला कानून संदर्भः

1981 (3) एस. सी. आर. 291 विशिष्ट पैरा 6

1993 पूरक (2) धारा 356 विशिष्ट पैरा 6

1993 पूरक (2) धारा 534 विशिष्ट पैरा 6

1994 पूरक (2) धारा 153 विशिष्ट पैरा 6

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दाण्डिक अपीलीय सं 1196/2007

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के 2001 की दाण्डिक अपीलीय सं 1951 (1990 की पुरानी सं. 1963) में दिनांकित 16.04.2007 निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए टी. एन. सिंह, पी. नरसिम्हन।

प्रतिवादीओं के लिए जतिंदर कुमार भाटिया।

न्यायालय का निर्णय ए. के. पटनायक, जे. द्वारा दिया गया था।

1. यह अपील भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत के रूप में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की दाण्डिक अपील संख्या 1951/2001 के आदेश दिनांक 16-04-2007 के विरूद्घ की गयी है।

<u>तथ्य</u>

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 03-07-1986 को श्रीमती गुलाछीदेवी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में एफ.आई.आर.) पुलिस आउटपोस्ट कोटाबाग में दर्ज करवायी थी। इस एफ.आई.आर. में उसने आक्षेप लगाया कि उसका पति सुरेशचन्द्र बेलदार के पद पर कुमाउ जल संस्थान के साथ कार्य कर रहा था एवं 03-07-1986 को वह अपने आवास पर शाम के सात बजे वापस लौटा। किशन राम और पानीराम उसके जलदाय विभाग के अंदर स्थित आवास पर आये एवं उसके पति को बुलाया व उसे अपने साथ ले गये। परिवादीया ने एफ.आई.आर. में आगे यह भी लिखा कि उसके पड़ोसी पूर्णराम ने उसे बताया कि उसने सुरेशचन्द्र की चिलकिया मंदिर की तरफ से चीखें सुनी एवं वह पूर्णराम के साथ चिलकिया मंदिर के पास गयी एवं देखा कि सुरेशचन्द्र के हाथ व पैर रस्सी से बंधे हुए थे एवं उसके साथ किशनराम, पानीराम, देवसिंह, हरराम व चंदनसिंह लाठी व डण्डों से मारपीट कर रहे थे। परिवादीया ने एफ.आई.आर. में यह भी लिखा कि हमलावरों ने उन्हें सुरेशचन्द्र के पास नहीं जाने दिया एवं वह दौड़ती हुयी रूड़की गयी एवं घटना की जानकारी दानसिंह जो जल संस्थान में फिटर के रूप में कार्य करता है उसे दी। वह फिर पूर्णराम व दान सिंह के साथ चिलकिया मंदिर सुरेशचन्द्र को देखने आयी लेकिन पाया कि सुरेशचन्द्र अपना दम तोड़ चुका है एवं हमलावर

उसके मृत शरीर के पास खड़े थे। उसने एफ.आई.आर. में आगे यह भी अंकित किया कि वह इस घटना की सूचना देने पटवारी हल्का गांव पांडेय की चौकी पर गयी लेकिन पटवारी वहां उपस्थित नहीं था। इसलिए वह एफ.आई.आर. दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन कोटाबाग आयी। उप निरीक्षक रूप सिंह बिष्ठ घटना की जगह की ओर गया एवं देखा कि सुरेशचन्द्र मृत पड़ा है एवं उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। वह मृग रिपोर्ट रात्रि में तैयार नहीं कर सका लेकिन अगली सुबह 04-07-1986 को उसने नक्शा मौका तैयार किया एवं रस्सी को अपने कब्जे में लेकर मृग रिपोर्ट तैयार कर मृतक् सुरेशचन्द्र की लाश को पोस्ट-मार्टम के लिये भेजा। डा. एस.सी. पंत, चिकित्साधिकारी सिविल अस्पताल हल्दवानी ने मृतक् के शरीर का पोस्ट-मार्टम कर पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट तैयार की। 05-07-1986 को उप निरीक्षक रूप सिंह बिष्ठ ने अन्वेषण अनीराम, सुपरवाइजर कानूनगो को सुपुर्द किया जिसने साक्षीगण के कथन लेखबद्घ किये एवं मौके का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाकर देवसिंह, चंदनसिंह, किशनराम, पानीराम व हरराम को गिरफ्तार कर अन्वेषण पूर्ण कर उक्त पांचों अभियुक्तगण के अतिरिक्त तीन अन्य नैनसिंह, गोपालराम व हरिराम के विरूद्घ आरोप पत्र पेश किया।

3. सभी अभियुक्तगण ने अपने आपको दोषी नहीं बताकर अन्वीक्षा चाही। विचारण के दौरान नौ साक्षीगण का परीक्षण किया गया। सूचनाकर्त्ता

गुलाछीदेवी पी डब्ल्यु-1, पूर्णराम पी डब्ल्यु-2, दानसिंह पी डब्ल्यु-6, डाॅ. एस.सी. पंत सी डब्ल्यु-1 व अनीराम पी डब्ल्यु-8 के रूप में परीक्षित हुए। सभी अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षण किया गया लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई साक्षी पेश नहीं किया एवं केवल कुछ दस्तावेजों पर भरोसा जताया। बहस सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त किशनराम, पानीराम, देवसिंह, हरराम व चंदन सिंह को अपराध अंतर्गत धारा 147, 302 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.) के तहत दोषी पाया। विचारण न्यायालय ने नैनसिंह, गोपालराम व हरिसिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया। सजा के प्रश्न पर सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपराध अंतर्गत धारा 147 के लिये एक वर्ष का कठोर कारावास व धारा 302/149 के लिये आजीवन कारावास अधिरोपित किया। पांचाेंं अभियुक्तगण जो दोषी पाये गये थे उन्होंने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक अपीलें दायर की एवं आलौच्य आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने उन अपीलों को खारिज किया। पांचों अभियुक्तगण जो दोषी पाये गये थे उनमें से देवसिंह व चंदन सिंह गुजर चुके हैं इसलिए हम इस अपील का निस्तारण केवल किशनराम, पानीराम व हरराम तक ही कर रहे हैं।

<u>पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओ द्वारा किये गये कथन</u>

4. अपीलार्थियों के विद्वान् अधिवक्ता श्री टी.एन. सिंह ने कथन किया कि विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने चक्षुदर्शी साक्षी पी डब्ल्यु-1 व पी डब्ल्यु-2 के वृतांत पर भरोसा करते हुए अपीलार्थियों को दोषी माना। विद्वान् अधिवक्ता ने पी डब्ल्यु-1 की साक्ष्य के विषय में उल्लेख करते हुए कथन किया कि पी डब्ल्यु-1 उस स्थान से संबंध नहीं रखती थी जहां यह घटना घटित हुई एवं वह मृतक् के हमलावरों को पहचानने में सक्षम नहीं थी। विद्वान् अधिवक्ता ने पी डब्ल्यु-1 की साक्ष्य के विषय में यह भी कथन किया कि वह अभियुक्त व्यक्तियों का नाम पी डब्ल्यु-6 दानसिंह के अनुसार बताती है। विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पी डब्ल्यु-1 की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जायेगा कि वह दो अभियुक्त व्यक्ति हरराम व हरिराम के बीच असमंजस्य की स्थिति में है एवं वह हरराम व हरिराम में से किसी के पिता का नाम नहीं जानती है। विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पी डब्ल्यु-3, पी डब्ल्यु-4 व पी डब्ल्यु-7 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है एवं पी डब्ल्यु-6 दानसिंह ने यह कथन किया कि अभियुक्तगण के नाम पी डब्ल्यु-1 के द्वारा बताये गये थे लेकिन पी डब्ल्यु-1 हमलावरों की पहचान करने में सक्षम नहीं रही।

5. श्री सिंह ने आगे कथन किया कि घ टना 03-07-1986 को साढ़े सात बजे घटित हुयी जबकि एफ.आई.आर. चार घण्टे के बाद उसी दिन

11.50 पी.एम. पर दर्ज करवायी गयी। इस प्रकार एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में चार घण्टे की देरी हुयी। श्री सिंह ने कथन किया कि एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में हुयी देरी पी.डब्ल्यु.-1, पी डब्ल्यु- 2 व पी डब्ल्यु-6 के द्वारा बतायी गयी अभियोजन कहानी पर अविश्वास किये जाने के लिये अच्छा हेतुक दर्शाती है।

6. श्री सिंह ने अंत में यह कथन किया कि यहां तक कि यदि इस मामले में पी.डब्ल्यु.-1, पी डब्ल्यु- 2 व पी डब्ल्यु-6 की साक्ष्य पर भरोसा किया जाये तो भी अपीलार्थीगण भा.दं.सं. की धारा 302 सपिठत धारा 149 में हत्या के अपराध के लिये दोषी नहीं हो सकते हैं क्योंकि अपीलार्थीगण का सामान्य उद्देश्य हत्या का अपराध करना नहीं था एवं इस प्रकार वे आजीवन कारावास के भागी नहीं हो सकते हैं। श्री सिंह ने आगे कथन किया कि ये ज्यादा से ज्यादा धारा 304 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. में हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध का मामला है। अपने तर्कों के समर्थन में श्री सिंह ने इस न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांतों पर जोर दियाः-

01. भूदेव मण्डल वगैरा बनाम बिहार राज्य, 1981 (2) एस.सी.सी. 755

02. सरमन वगैरा बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1993 सप्लीमेंट्री (2) एस.सी.सी. 354

03. ठाकुर दौलजी वनवीर जी वगैरा बनाम गुजरात राज्य, 1993 सप्लीमेंट्री (2) एस.सी.सी. 534

04. राजाराम बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1994 सप्लीमेंट्री (2) एस.सी.सी. 153

7. राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री जतिन्द्र कुमार भाटिया ने अपने जवाब में कथन किया कि यह सही है कि पी डब्ल्यु-1 उस स्थान से संबंध नहीं रखती थी, जहां घटना घटित हुयी लेकिन उसने पी डब्ल्यु-2 व पी डब्ल्यु-6 की मदद से हमलावरों की पहचान की एवं एफ.आई.आर. दर्ज करवायी। उन्होंने यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि पी डब्ल्यु-1 बाहर की होने के कारण एवं पहाड़ी क्षेत्र से संबंध नहीं होने के कारण उसके द्वारा हरिराम व हरराम में फर्क करना अपेक्षित नहीं था एवं इसमें कोई असंभव्य अथवा अप्राकृतिक होने जैसी कोई वस्तु नहीं है। पी डब्ल्यु-2 पूर्णराम व पी डब्ल्यु-6 दानसिंह की साक्ष्य को लिखित एफ.आई.आर. प्रदर्श-2 के साथ मिलायें तो इसमें कोई संदेह नहीं रहता है कि किशनराम, पणिराम, देवसिंह, हरराम व चंदनसिंह ने सुरेशचन्द्र पर लाठी व डण्डों से हमला किया। उन्होंने यह भी कथन किया

कि पी डब्ल्यु-3, पी डब्ल्यु-4 व पी डब्ल्यु-7 पक्षद्रोही घोषित हुए हैं लेकिन उन्होंने अभियोजन के मामले का दिनांक, समय व घटना के स्थान के बारे में समर्थन किया है।

8. एफ.आई.आर. देरी से दर्ज कराने के संबंध में श्री भाटिया ने कथन किया कि विचारण न्यायलय ने यह पाया कि 03-07-1986 को 7.30 पी.एम. पर घटना के बाद पी डब्ल्यु-1 व पी डब्ल्यु-2 पहले पाण्डेय गांव की चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराने गये थे एवं वहां से वे कोटाबाग पुलिस आउटपोस्ट एक ट्रेक्टर में गये जो घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर था एवं 03-07-1986 को 11.50 पी.एम. पर एफ.आई.आर. दर्ज करवायी एवं इन परिस्थितियों में एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कोई देरी नहीं हुयी।

9. श्री भाटिया ने आगे यह कथन किया कि अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कहना कि अभियुक्तगण का धारा 302 भा.दं.सं. का अपराध कारित करने के लिये सामान्य उद्देश्य नहीं था यह न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट एवं चिकित्सकीय साक्ष्य में मृतक् के शरीर पर 27 चोटें पायी गयी। उन्होंने पुरजोर के साथ कथन किया कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य यह स्थापित करती है कि अभियुक्त व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराध कारित करना था एवं इस प्रकार विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को उचित रूप से

अपराध अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. में दोषसिद्घ ठहराया एवं आजीवन कारावास से दण्डित किया।

<u>न्यायालय का निष्कर्ष</u>

10. हमने पी डब्ल्यु-1 की साक्ष्य को देखा एवं पाया कि उसने यह कथन किया कि 03-07-1986 को लगभग 7.00 पी.एम. पर किशनराम व पणिराम उसके घर आये एवं मृतक् को अपने साथ ले गये एवं कुछ समय बाद पी डब्ल्यु-2 ने उसे बताया कि उसने चिलकिया मंदिर से मृतक् की चीखें सुनी एवं दोनों पी डब्ल्यु-1 व पी डब्ल्यु- 2 चिलकिया मंदिर गये एवं देखा कि मृतक् के हाथ व पैर बंधे हुए थे एवं पांचों अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ लाठियों व डण्डों से मारपीट की जा रही थी। जब प्रति-परीक्षा में यह प्रश्न पूछे गये कि हरिराम व हरराम एक ही व्यक्ति थे तो वह विचलित हुयी एवं उसने यह स्वीकार किया कि वह हरिराम व हरराम में से किसी के भी पिता का नाम नहीं जानती है लेकिन उसने एफ.आई.आर.में हरराम को किशनराम, पणिराम, देवसिंह व चंदनसिंह के साथ मृतक् के हमलावरों के रूप में बताया। इस प्रकार पी डब्ल्यु-1 की साक्ष्य उसके घटना के बाद की एफ.आई.आर. में बताये गये कथनों से समर्थित है।

11. पी डब्ल्यु-1 की साक्ष्य का समर्थन पी डब्ल्यु-2 के द्वारा भी होता है जिसने यह कथन किया कि उसने मृतक् की चीखें सुनी फिर वह

पी डब्ल्यु-1 के साथ चिलकिया मंदिर गया जहां से चीख़ों की आवाज आ रही थी एवं वहां पहुंचने पर देखा कि मृतक् के हाथ व पैर रस्सी से बंधे हुए थे एवं उस पर पांच अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हमला किया जा रहा था। इसी प्रकार पी डब्ल्यु-6 ने भी कथन किया कि 03-07-1986 को रात्रि में 8.30 बजे पी डब्ल्यु-1 व पी डब्ल्यु- 2 उसके पास आये एवं पी डब्ल्यु-1 ने उसे बताया कि उसके पति को अभियुक्तगण किशनराम, पणिराम, हरराम, देवसिंह व चंदनसिंह चिलकिया मंदिर के पास मार रहे हैं एवं यह सुनने के पश्चात् उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया एवं चिलकिया मंदिर पहुंचे व वहां देखा कि मृतक् के हाथ व पैर रस्सी से बंधे हुए थे व उसके शरीर पर चोटें आयी हुयी थी एवं मृतक् मर चुका था एवं अभियुक्त व्यक्ति हरराम, किशनराम, पणिराम, देवसिंह व चंदन सिंह वहां मौजूद थे। पी डब्ल्यु-6 ने आगे यह भी कथन किया कि वह पी डब्ल्यु-1 के साथ पाण्डेय गांव में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था लेकिन पटवारी वहां उपस्थित नहीं था एवं वे पुलिस आउटपोस्ट कोटाबाग गये जहां पी डब्ल्यु-1 ने रिपोर्ट दर्ज करायी। पी डब्ल्यु-6 ने यह भी कथन किया कि रिपोर्ट उसके द्वारा पी डब्ल्यु- 1 के श्रुतलेख के आधार पर लिखी गयी थी एवं उसके बाद इसे पी डब्ल्यु- 1 को पढ़ाया भी गया था एवं उसने रिपोर्ट पर अपना अंगूठा निशान किया। इस प्रकार तीनों चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य जो पी डब्ल्यु-1 के द्वारा घटना होने के चार घण्टे के भीतर दर्ज करवायी गयी

एफ.आई.आर. के कथनों से समर्थित है जो स्पष्टतया स्थापित करती है कि पांच अभियुक्त व्यक्ति जिनमें तीन अपीलार्थी भी शामिल है, ने मृतक् के साथ लाठियों व ठण्डों से हाथ व पैरों को रस्सी से बांधकर मारपीट की।

12. पी डब्ल्यु-3 ने यह कथन किया कि उसने चिलकिया मंदिर के पास शव देखा था एवं मृतक् के हाथ व पैर बंधे हुए थे एवं वहां कुछ व्यक्ति खड़े थे लेकिन उसने घटना नहीं देखी। पी डब्ल्यु-4 ने कथन किया कि 03-07-1986 को लगभग 8.30-9.00 पी.एम. उसने एक महिला की चीख सुनी एवं वह बाहर आया व उसने देखा कि गांव के लोग चिलकिया मंदिर की तरफ जा रहे थे एवं वह भी चिलकिया मंदिर की तरफ गया व देखा कि मृतक् मरा हुआ पड़ा था एवं उसके हाथ व पैर रस्सी से बंधे हुए थे एवं वहां 40-50 व्यक्ति मौजूद थे किंतु वह अंधेरा होने के कारण किसी को पहचान नहीं सका। पी डब्ल्यु-7 ने भी इसी प्रकार का कथन करते हुए कहा कि 03-07-1986 को लगभग 8.30-9.00 पी.एम. पर वह अपने घर पर था एवं पी डब्ल्यु-6 व पी डब्ल्यु-1 वहां आये एवं उसे बताया कि कुछ व्यक्ति मृतक् के साथ चिलकिया में मारपीट कर रहे थे एवं वे चिलकिया मंदिर पहुंचे तो देखा कि वहां कई व्यक्ति इकट्ठे हुए थे एवं पी डब्ल्यु- 1 का पति वहां मरा पड़ा था एवं उसके हाथ व पैर बंधे हुए थे एवं उसके शरीर से रक्तस्राव हो रहा था। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि पी डब्ल्यु-3, पी डब्ल्यु-4 व पी डब्ल्यु-7 ने अभियोजन के मामले का समर्थन

किया है कि मृतक् पर जब हमला किया गया था तब उसके हाथ व पैर बंधे हुए थे लेकिन उन्होंने हमला करने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं बताये। शायद क्योंकि वे घटनास्थल पर घटना होने के बाद पहुंचे हों।

13. जैसा कि श्री सिंह ने बताया कि घटना 03-07-1986 को 7.30 पी.एम. पर हुयी एवं एफ.आई.आर. 11.50 पी.एम. पर उसी दिन दर्ज हुयी, जो सही है। लेकिन यह चार घण्टों की देरी पर्याप्त रूप से पी डब्ल्यु-1 व पी डब्ल्यु-6 की साक्ष्य से स्पष्ट कर दी गयी है। पी डब्ल्यु-1 ने कथन किया कि वह पहले रूड़की गांव की तरफ गयी एवं पी डब्ल्यु-6 को सूचित किया एवं तब पी डब्ल्यु-1, पी डब्ल्यु- 2 व पी डब्ल्यु-6 चिलकिया मंदिर वापस आये एवं देखा की मृतक् मर चुका था एवं अभियुक्त व्यक्ति वहां मौजूद थे एवं फिर वे पाण्डेय गांव के पटवारी को घटना की सूचना देने गये। लेकिन वहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ था एवं उसके बाद ही वे पुलिस चौकी कोटाबाग गये एवं घटना की रिपोर्ट पी डब्ल्यु- 6 के द्वारा लिखने के पश्चात् चौकी को सुपुर्द की। पी डब्ल्यु- 6 ने पी डब्ल्यु- 1 ने जो भी कहा उसका समर्थन किया एवं कहा कि 03-07-1986 को 8.30 पी.एम. के लगभग पी डब्ल्यु-1 व पी डब्ल्यु- 2 उसके पास आये एवं घटना के बारे में सुनने के बाद वे चिलकिया मंदिर गये व उसके बाद वे पाण्डेय गांव रिपोर्ट दर्ज कराने पटवारी के पास गये लेकिन पटवारी जी वहां उपस्थित नहीं थे एवं फिर वे पुलिस आउटपोस्ट कोटाबाग गये जहां पी

डब्यु-1 ने रिपोर्ट दर्ज करायी। 7.30 पी.एम. से 11.50 पी.एम. के बीच एफ.आई.आर. दर्ज कराने में हुयी चार घण्टे की देरी पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दी गयी है एवं अभियोजन के मामले को संदेहपूर्ण नहीं बनाती है।

14. अब हम श्री सिंह के द्वारा किये गये कथन कि यदि पी डब्ल्यु-1, पी डब्ल्यु- 2 व पी डब्ल्यु-6 की साक्ष्य पर विश्वास करें तो भी अपीलार्थी हत्या के अपराध अंतर्गत धारा 302 सपिठत धारा 149 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्घ नहीं किये जा सकते क्योंकि अपीलार्थियों का सामान्य उद्देश्य हत्या का अपराध करना नहीं था, पर विचार करते है। शव परीक्षण रिपोर्ट को सी डब्ल्यु-1 डा. एस.सी. पंत के कथन के साथ पढ़ने पर मृतक् के शरीर पर कुल 27 चोटें बताती हैं हो इस प्रकार हैं:

1. कुचला हुआ घाव 3 सेमी. X 1 सेमी., दांयी कनपटी के उपर, दांयी आंख की तरफ 2 सेमी.। नीचे रक्त का थका जमा हुआ।

2. कुचला हुआ घाव 3 सेमी. X 1 सेमी., ललाट के बीच उपर की तरफ। रक्त का थका जमा हुआ।

3. कुचला हुआ घाव 4 सेमी. X 3 सेमी., दांयी कनपटी के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

4. दो कुचले हुए घाव 5 सेमी. X 0.5 सेमी., दोनों एक दूसरे के समानान्तर, गर्दन की दांयी तरफ उपर की तरफ। रक्त का थका जमा हुआ।

5. दो कुचले हुए घाव 11 सेमी. X 0.5 सेमी., दोनों एक दूसरे के समानान्तर, दांयी भुजा के अग्र भाग के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

6. कुचला हुआ घाव 4 सेमी. X 4 सेमी., दांये कंधे के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

7. कुचला हुआ घाव 10 सेमी. X 5 सेमी., दाहिनी भुजा के अग्र भाग की तरफ। रक्त का थका जमा हुआ।

8. कुचला हुआ घाव दांयी कलायी की तरफ जिसमें खांचा बना हुआ।

9. कुचला हुआ घाव 16 सेमी. X 9 सेमी., दाहिनी भुजा के अग्र भाग के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

10. कुचला हुआ घाव 5 सेमी. X 1.5 सेमी., कंधे के फलक के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

11. कुचला हुआ घाव 4 सेमी. X 1.5 सेमी., चोट संख्या 10 के 3 सेमी. नीचे। रक्त का थका जमा हुआ।

12. कुचला हुआ घाव 8 सेमी. X 2 सेमी., दांयी फलक के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

13. कुचला हुआ घाव 8 सेमी. X 1.5 सेमी., पीठ की दाहिनी तरफ चोट संख्या 11 से 4 सेमी. नीचे। रक्त का थका जमा हुआ।

14. कुचला हुआ घाव 2 सेमी. X 0.5 सेमी., पीठ के मध्य के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

15. जांघों के अग्र भाग पर कुचला हुआ घाव। रक्त का थका जमा हुआ।

16. कुचला हुआ घाव 18 सेमी. X 10 सेमी., पीठ के उपर एवं जांघ की तरफ नीचे। रक्त का थका जमा हुआ।

17. कुचला हुआ घाव 6 सेमी. X 1 सेमी., दांये घुटने के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

18. कुचला हुआ घाव 5 सेमी. X 6 सेमी., दांये पैर के अंदर की तरफ। रक्त का थका जमा हुआ।

19. कुचला हुआ घाव 7 सेमी. X 0.5 सेमी.,दाहिनी कोहनी के पीछे की तरफ। रक्त का थका जमा हुआ।

20. कुचला हुआ घाव 3 सेमी. X 2 सेमी., दाहिने हाथ के नीचे के भाग में। रक्त का थका जमा हुआ।

21. कुचला हुआ घाव 4 सेमी. X 2 सेमी., दाहिनी भुजा के नीचे के भाग की तरफ। रक्त का थका जमा हुआ।

22. कुचलेने हुए घाव खांचे के साथ दाहिनी कलायी की तरफ। रक्त का थका जमा हुआ।

23. दो कुचलेने हुए घाव 10 सेमी. X 0.5 सेमी., जो एक-दूसरे से 1 सेमी. दूर है एवं पेट के दाहिनी तरफ। रक्त का थका जमा हुआ।

24. दांये कुल्हे के चारों तरफ कुचले हुए घाव। रक्त का थका जमा हुआ।

25. दाहिनी जांघ के चारों तरफ कुचले हुए घाव। रक्त का थका जमा हुआ।

26. दो कुचलेने हुए घाव 8 सेमी. X 0.5 सेमी. समानान्तर एवं एक-दूसरे से 1 सेमी. दूर एवं दांये घुटने से 6 सेमी. उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

27. कुचला हुआ घाव 6 सेमी. X 0.5 सेमी. बांये टकने के उपर। रक्त का थका जमा हुआ।

डा. एस.सी. पंत के विचार में चोट संख्या 1 व 3 से हेमाटोमा हुआ एवं मृतक् की मृत्यु चोट संख्या 1 व 3 से हुए शौक एवं हेमरेज से हुयी। पी डब्ल्यु- 1 एवं पी डब्ल्यु-2 ने कथन किया कि पांचों अभियुक्तगण मृतक् पर लाठी व डण्डों से हमला कर रहे थे एवं मृतक् के हाथ व पैर रस्सी से बंधे हुए थे। 04-07-1986 को सुबह मृग के समय पी डब्ल्यु-5 ने

घटनास्थल से रस्सी को अपने कब्जे में लिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पांचों ही अभियुक्तगण ने मृतक् पर हमला किया एवं मृतक् के हाथ व पैर बंधे हुए थे एवं उन्होंने मृतक् के शरीर के विभिन्न भागों पर 27 चोटें कारित की, इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता है कि जमाव का सामान्य उद्देश्य भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत हत्या का अपराध कारित करना था एवं विधि विरूद्घ जमाव के पांचों सदस्य धारा 149 भा.दं.सं. के प्रावधानों के तहत अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के लिये भागीदार है । इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलार्थी हत्या के अपराध के लिये 302 भा.दं.सं. के तहत दोषी नहीं है, सही नहीं है।

15. भूदेव मण्डल बनाम बिहार राज्य (जो उपर वर्णित किया गया है) जो अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया है, में इस न्यायालय ने माना था कि अभियुक्त को धारा 149 भा.दं.सं. की सहायता के साथ दोषसिद्घ करने से पहले, न्यायालय को सामान्य उद्देश्य की प्रकृति जो विधि विरूद्घ थी, के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष देना चाहिए। उपर वर्णित न्यायिक दृष्टांत भूदेव मण्डल बनाम बिहार राज्य में इस न्यायालय ने पाया था कि भूदेव मण्डल ने मेनु मण्डल को घुसा मारा था लेकिन जहां तक दूसरे अपीलार्थी का संबंध है, वे सभी लाठियों के साथ थे एवं उन्होंने साक्षीगण अथवा मृतक् को कोई चोट नहीं पहुंचायी एवं इन्हीं

तथ्यों के साथ इस न्यायालय ने माना कि उनका अपराध अंतर्गत धारा 326 भा.दं.सं. के लिये सामान्य उद्देश्य नहीं था एवं उन्हें धारा 149 भा.दं.सं. के साथ नहीं बांधा जा सकता था।

16. सरमन बनाम मध्यप्रदेश राज्य (जो उपर वर्णित किया गया है) जो अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया है, में इस न्यायालय ने पाया था कि सभी अपीलार्थी लाठियों के साथ थे एवं जिस चिकित्सक ने पोस्ट-मार्टम किया था उसने मृतक् के शरीर पर 17 चोटें बतायी एवं केवल चोट संख्या 15 से सिर की हड्डी में अस्थिभंग हुआ जो चिकित्सक के अनुसार मृतक् की मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त था। इस न्यायालय ने यह भी पाया था कि सामान्य तरीके में अभियोजन का मामला यह था कि सभी के पास लाठियां पायी गयी एवं किसी ने भी यह कथन नहीं किया कि चोट संख्या 15 जिससे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृतक् की मृत्यु हुयी वह किसने कारित की थी एवं न्यायालय ने माना कि अपीलार्थियों में से किसी ने भी सामान्य उद्देश्य से आगे बढ़कर कृत्य किया है तो वह व्यक्तिगत कृत्य होगा एवं इन परिस्थितियों में धारा 302/149 भा.दं.सं. में दण्ड देना मुश्किल होगा।

17. ठाकुर दौलजी वनवीरजी वगैरा बनाम गुजरात राज्य (जो उपर वर्णित किया गया है) जो अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया है, में इस न्यायालय ने पाया था कि अभियुक्त संख्या 1 ने मृतक्

के सिर पर तलवार से घातक प्रहार किया एवं सभी के विरूद्घ सामान्य रूप से आरोप लगाये गये एवं इस न्यायालय ने माना कि अभियुक्त संख्या 1 ही धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्घ होगा लेकिन धारा 149 भा.दं.सं. का प्रयोग करके सभी को हत्या के अपराध के लिये दोषसिद्घ करना सुरक्षित नहीं था।

18. राजाराम बनाम मध्यप्रदेश राज्य (जो उपर वर्णित किया गया है) जो अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया है, में इस न्यायालय ने पाया था कि केवल मात्र साक्षीगण के एक सरीखे कथनों के आधार पर कि 19 अभियुक्तगण ने चोटें कारित की है लेकिन चिकित्सकीय साक्ष्य में एक सरीखे आरोपों का समर्थन नहीं किया। इस न्यायालय ने माना कि अपीलार्थीगण का धारा 302 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्घि की पुष्टि करना असुरक्षित था। विशेषतः उस समय जब चिकित्सकीय साक्ष्य ने दो साक्षीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का समर्थन नहीं किया एवं विशेषतः तब जब केवल एक ही चोट घातक पायी गयी जो पीठ पर कई तरह के कुचले घाव थे।

19. हस्तगत मामले के तथ्य अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों से भिन्न हैं। चक्षुदर्शी साक्षियों की मौखिक साक्ष्य, घटनास्थल से रस्सी का बरामद होना एवं चिकित्सकीय साक्ष्य इस मामले में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करते हैं कि पांचों

अभियुक्तगण ने मृतक् के हाथ व पैर बांधे एवं सभी ने मिलकर लाठी व डण्डों से 27 चोटें कारित की। इस प्रकार जमाव का सामान्य उद्देश्य अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. काे कारित करना था। विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अपीलार्थीगण को हत्या के लिये अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. सपठित धारा 149 भा.दं.सं. में सही रूप में दोषी माना है।

20. इस प्रकार हम इस अपील में कोई गुण होना नहीं पाते हैं एवं इसे खारिज करते हैं।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जितेन्द्र कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।